कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)

फोन (कार्या) : 07782–222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782–222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्रं./व.त.अ./2419 जगदलपुर, दिनांक 13/09/17

प्रति,

मुख्य अभियंता,

लोक निर्माण विभाग,

राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र,

पेंशन बाड़ा रायपुर,

छत्तीसगढ़

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Widening and Upgrading to 2 Lane of NH 163 (old NH 202)from Bhopalpatnam - Taralaguda section in state of Chhattisgarh under LWE scheme, area - 104.885 ha. Regarding.

पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/19527/2016

संदर्भ :–1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू– प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक /भू–प्रबंध/विविध/एल.एम.–115–618/1437 दिनांक 13.06.2016 ।

2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक /व.त.अ./1865 दिनांक 24.07.2017 एवं पत्र क्रमांक 2035 दिनांक 09.08.2017 ।

3. वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल बीजापुर का पत्र क्रमांक/6915 दिनांक 17.07.2017 ।

––::000::––

विषयान्तर्गत् संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

बीजापुर वनमण्डल अन्तर्गत् राष्ट्रीय राजमार्ग 202 (नया 163) भोपालपट्नम से तारलागुड़ा तक मार्ग LWE योजना अन्तर्गत 2 लाईन चौड़ीकरण कार्य हेतु निर्माण में आने वाले प्रत्यावर्तित वनभूमि 104.855 हे. प्रस्ताव पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू – प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र क्रमांक –1 द्वारा पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/19527/2016 आबंटित है।

वनमण्डलाधिकारी बीजापुर वनमण्डल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार प्रत्यावर्तन प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार कंडिका क्रमांक 3, कंडिका क्रमांक 7, कंडिका क्रमांक 10, कंडिका क्रमांक 28, कंडिका क्रमांक 35 एवं कंडिका

Scanned by CamScanner

क्रमांक 39 में आपके हस्ताक्षर नहीं है। प्रस्ताव में आपके हस्ताक्षर हेतु दूरभाष द्वारा एवं संदर्भित पत्रों से आपके कार्यालय तथा कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर को अवगत कराया गया है परन्तु आज दिनांक तक उपरोक्त कंडिकाओं में हस्ताक्षर कर इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही अपूर्ण होने से प्रस्ताव प्रेषण में विलम्ब हो रहा है इस बाबत वरिष्ठ कार्यालय से स्मरण पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

विषयांकित प्रत्यावर्तन प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु संदर्भित पत्र द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू – प्रबंध छत्तीगसढ़ रायपुर को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में लेख किया जाता है कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू – प्रबंध छत्तीगसढ़ रायपुर कार्यालय में उपस्थित होकर उपरोक्त कंडिकाओं में तत्काल हस्ताक्षर कर प्रस्ताव पूर्ण करें, ताकि वरिष्ठ कार्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

<u>उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रस्ताव आपके स्तर पर लंबित माना जावेगा।</u>

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर

पृ.क्रं./व.त.अ./ 2420 जगदलपुर, दिनांक 13/09/17

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू– प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1864 दिनांक 24.07.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. कमिश्नर, बस्तर – संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला – बीजापुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
5. वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल बीजापुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
6. कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

वन संरक्षक

Scanned by CamScanner